GOD ⊙ GAPP ⊙ GDA हमारा मन जन-जन को धन, सज्जन को सत्ता, जग में अमन- भरत गांधी VAPP ⊙ FEF ⊙ VPI

विश्व परिवर्तन मिशन MISSION FOR GLOBAL CHANGE

गैप www.politicalreforms.org GLOBAL AGREEMENT ON POVERTY AND PEACE (GAPP)

राजनीति सुधारो अभियान

CAMPAIGN FOR POLITICAL REFORMS (CPR)

ग्राम प्रधान मोर्चा Gram Pradhan Front

(लोकतंत्र वास्ते विश्व संघ द्वारा निर्देशित गरीबी व शांति पर वैश्विक संधि-गैप से संबद्ध एक परा-राजनैतिक संगठन)

(Affiliated by Global Agreement on Poverty and Peace, GAPP and directed by Global Organization for Democracy)

Correspondences: Bharat Gandhi, Law Consults, 402 New Lawyers Chambers, Supreme Court, Bhagwandas Marg, New Delhi-110001
Phone: 09759561157, 09651991100, 09818433422 Email: votership@gmail.com, Website: www.politicalreforms.org, www.votership.com

प्रेषक,

अधोहस्ताक्षरी ग्राम प्रधानगण,

c/o ....., जिलाध्यक्ष- राजनीति सुधारो अभियान,

.....

Email: votership@gmail.com, Website: www.politicalreforms.org

दिनांक: .....

सेवामें,

1. **राष्ट्रपति,** भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
2. **प्रधानमंत्री**, भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, रायसीना हिल्स, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली-110011
3. **अध्यक्ष- लोकसभा,** संसद भवन, नई दिल्ली-110001
4. **सभापति / उपराष्ट्रपति, राज्य सभा,** संसद भवन, नई दिल्ली-110001
5. **अध्यक्ष- यूपीए गठबंधन,** 10 जनपथ, नई दिल्ली-110001
6. **अध्यक्ष- एनडीए गठबंधन,** 7 तुगलक मार्ग, नई दिल्ली-110003
7. **विधि व न्याय मंत्री,** भारत सरकार, चौथी मंजिल, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
8. **पंचायती राज मंत्री,** भारत सरकार, रूम.-751, सातवीं मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
9. अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता प्राप्त **राजनीतिक दलों के अध्यक्षगण** / कार्यकारी प्रमुख।
10. **मुख्य चुनाव आयुक्त,** निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली-110001

द्वारा-

1. जिलाधिकारी, जनपद-
2. जिलाध्यक्ष- राजनीति सुधारो अभियान,

विषय- **देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में ग्राम प्रधानों को वोट का अधिकार देने के लिये संविधान संशोधन हेतु ज्ञापन।**

महोदय,

आज दिनांक ..... को प्रदेश- ..... के जनपद- ..... में स्थित स्थान- ..... में राजनीति सुधारो अभियान द्वारा संचालित ग्राम प्रधान मोर्चा के बैनर तले ग्राम प्रधानों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुये ..... ने उन कारणों पर प्रकाश डाला, जिनके कारण आज प्रधानमंत्री के चुनाव में ग्राम प्रधानों को भागीदारी देना अपरिहार्य हो गया है। उनकी दलीलों से सहमति जताते हुये सममेलन में उपस्थित माननीय ग्रम प्रधानगण द्वारा

सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करके शासन-प्रशासन के उक्तांकित प्राधिकारियों को ज्ञापन स्वरूप प्रेषित करने का फैसला किया गया। प्रस्ताव निम्नलिखित हैं-

1. यह निष्कर्ष अक्षरश: सत्य है कि सांसदगण वोटरों से ज्यादा अपने-अपने दलों के अध्यक्षगण के प्रति वफादार हो गये हैं, दलों के अध्यक्षगण सांसदों से ज्यादा चंदा देने वाले खरबपतियों के प्रति वफादार हो गये हैं। इन दुर्भाग्यपूण घटनाओं के कारण प्रधानमंत्री, सांसदगण, केन्द्र सरकार गावों में रहने वाले वोट देने वालों के राजनीतिक-आर्थिक हितों का ध्यान रखने की बजाय बड़े शहरों में रहने वाले चंदा देने वाले खरबपतियों का ध्यान रख रहे हैं।

2. यह भी सत्य है कि गत 20-25 सालों में खरबपतियों व दलों के अध्यक्षों के लगातार साझे प्रयासों के कारण देश में आर्थिक विषमता अब इतनी बढ़ गई है कि देश की राजनीति व शासन-प्रशासन को खरबपतियों के चंगुल से निकाल पाना लगभग असंभव दिखता है। असंभव इसलिये भी दिखता है कि सन् 1994 के गैट समझौते के माध्यम से खरबपतियों ने देशवाद छोड़कर अपने वर्ग का विश्वव्यापी महासंघ बना लिया है और पुरानी सोंच के नेता अभी भी जनता को बता रहे है कि देश के लोगों से प्रेम करो या नहीं, दूसरे देशों से नफरत करो; यही देशप्रेम है।

3. अनुभवों ने यह साबित किया है कि खरबपतियों ने संसदीय चुनावों को इतना मंहगा बना दिया है कि चुनाव जीतने की काबिलयत के नाम पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने साइकिल-मोटरसाइकिल वालों को टिकट देना ही बंद कर दिया है। गरीबों व मध्य वर्ग को टिकट पर रोक लग जाने के कारण अब केवल बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले लोग ही सांसद विधायक बन पा रहे हैं। सभी जातियों, धर्मों, क्षेत्रों व सभी भाषा भाषियों के गरीबों व मध्य वर्ग के लोग प्रतिनिधित्वविहीन, अनाथ, बेसंसद व वेवतन हो गये हैं। बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले सांसद लोग चूंकि गांवों की बजाय शहरों में ही सम्पत्ति खरीदना पसंद करते हैं, अत: वे गावों की वोट लेकर भी गांवों से वेवफा हो जाते हैं। वे जानते हैं कि चूंकि उनकी सम्पत्ति बड़े शहरों में है, इसलिये देश का, व सरकारी बजट का जितना अधिक से अधिक पैसा बड़े शहरों में खर्च होगा, उनकी सम्पत्ति की कीमत उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। ऐसे बेवफा नेता अपने लिये धन के इंतजाम में लगें हैं और अपने वोटरों को मान-सम्मान दिलाने का खोखला आश्वासन दे रहे हैं। सन् 2007 में संसद में जिस तरह की शाजिस करके 137 सांसदों द्वारा पेश वोटरशिप के अधिकार संबंधी याचिका को चर्चा में आने से रोका गया; उससे साबित हो गया कि गांवों की वोट से राजनीति करने वाली पार्टियां भी नहीं चाहतीं कि गांव वालों का ध्यान पैसे की ओर जाये। बड़ी-बड़ी गाड़ियों और बड़े-बड़े शहरों के प्रेमी सांसदों की वेवफाई को देखते हुये **अब तो एक ही उपाय बचा है कि जिस तरह अनुसूचित समाज को संसद व विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया है; उसी प्रकार गरीबी रेखा के नीचे के, गरीबी रेखा के ऊपर के और आयकरदाता वर्ग के वोटरों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संसद व विधानसभाओं में आरक्षण दिया जाये।** ऐसा होने से पार्टियां साइकिल-मोटरसाइकिल पर चलने वाले अपने-अपने कार्यकर्ताओं को भी टिकट देने के लिये कानूनन बाध्य हो जायेंगी। जब साइकिल-मोटरसाइकिल वाले लोग स्वयं सांसद-विधायक बनने लगेंगे, तो संसद में गांव वालों का बहुमत हो जाएगा। तब संसद केवल बड़े-बड़े शहरों के लिये ही कानून नहीं बनायेगी, अपितु गांव वालों के लिये भी कानून बनाने लगेगी।

4. यह निष्कर्ष गलत नही है कि बड़े-बड़े मैट्रो शहरों के विकास का बोझ ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। 100 में 65 लोग गांवों में रह रहे हैं किन्तु मैट्रो शहरों के विकास के नाम पर देश की आमदनी व सरकार के बजट का 65 प्रतिशत तो छोड़िये, गांवों को 6 प्रतिशत भी नही मिलता। अधिकांश बजट मैट्रो शहरों में खर्च कर देने की नीति के कारण देश की राजधानी के एक रूम की कीमत एक करोड़ रूपये हो गई है, मैट्रो शहरों में लगभग 2 करोड़ ऐसे मकान मालिक हैं, जो हर महीना 20 हजार रूपये घर बैठे एक रूम का किराया पा रहे हैं। गांव के लगभग 60 करोड़ लोग कमरतोड़ मेहनत करके साल भर

में भी इतनी आमदनी नहीं कर पा रहे हैं। इन दो करोड़ लोगों के व 1 करोड़ 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय बोझ तले गांव के लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी दबे पड़े हैं। मंहगे मकानों के कारण इन 60 करोड़ लोगों का मैट्रो शहरों में जाना विदेशों में वीजा-पासपोर्ट लेकर जाने से भी कठिन हो गया है। केवल एक रात राजधानी में रुकना हो, तो महीने भर की आमदनी यानी 2000 रूपया होटल के रूम का किराया देना पड़ता है। राजधानी इतनी मंहगी हो गई है कि गांव के लोग राजा के सामने फरियाद करने भी नही पंहुच सकते। राजधानी गरीबों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, जैसे वह अपने ही देश के गरीबों की राजधानी कहलाने में शर्म महसूस कर रही हो। ऐसी दशा में मैट्रो शहरों में रहने वालों की समस्याओं को ही संघ सरकार पूरे देश की समस्या मानने लगी है। रही-सही कसर तब पूरी हो गई जब टीवी चैनलों के मालिकों ने मैट्रो शहरों को 'देश' और 'राष्ट्र' कहना शुरू कर दिया व मैट्रो शहरों के निवासियों को ही देशवासी व राष्ट्रवासी कहना शुरू कर दिया। टीवी चैनलों के हो-हुल्लड़ में गांव वालों की चीख गुम हो गई है।

5. यह निष्कर्ष भी सत्य है कि निजी पूंजी से संचालित टीवी चैनलों ने मीडिया का स्वभाव इतना बदल डाला है कि मीडिया अब लोकतंत्र की इमारत का स्तम्भ नही रह गया है, यह इस इमारत की छत पर पड़ा असहनीय बोझ बन गया है, जिसने इस इमारत के ढ़ांचे को ही विरूप कर दिया हैं। अब संसद में वह बहस नही होती, जिसे देश के लोग चाहते हैं। संसद में अब वह बहस होती है, जिसे टीवी चैनलों के मालिक चाहते हैं। टीवी चैनल चूंकि खरबपतियों के निर्देशन में चलते हैं, इसलिये कार्यपालिका व विधायिका के साथ ही साथ लोकतंत्र का यह स्तम्भ भी खरबपतियों का गुलाम हो चुका है। गांव वालों के दर्द का बीन लोकतंत्र के ये स्तम्भ सुन तो रहे हैं, किन्तु भैस की तरह पागुर कर रहे हैं और जो कुछ सुन रहे हैं, उसे लार की तरह नीचे गिरा दे रहे हैं। अब तो निजी पूंजी से निर्देशित मीडिया न्यायपालिका को भी अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। मीडिया केवल धनउगाही के लिये जिस केस का ट्रायल शुरू करता है, पुराने मामलों को जस का तस छोड़कर न्यायपालिका भी अब उसी मामले का ''स्वत: संज्ञान'' लेता है व ट्रायल शुरू कर देता है। न्यायपालिका कानून के खूंटे से बंधी है, खूंटा गाड़ने वाले, यानी कानून बनाने वाले सांसद लोग खरबपतियों के खूंटे से बंधे हैं। ऐसी स्थित में न्यायपालिका कर भी क्या सकती है! वह ज्यादा से ज्यादा पुलिस व सेना की ताकत से खरबपतियों की मर्जी से बने बनाये कानूनों की चहरदीवारी में जनता को कैद रखने भर का काम कर सकती है।

6. यह तथ्य पूर्णत: सत्य है कि देशवाद यानी **राष्ट्रराज्यवाद** से मोह व राष्ट्रवाद यानी **वैश्विक कुटुम्बवाद** से नफरत के कारण ग्लोबलाइजेशन यानी **विश्वव्यापी साझात** का लाभ बड़े-बड़े मैट्रो शहरों के निवासी तो उठा रहे हैं, किन्तु **विश्वव्यापी साझात** का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। देश के पुरातनपंथी राष्ट्रवादी नेता साझात के इस युग में भी गांव वालों को पड़ोसी देशों के साथ मिलजुल कर रहने की बजाय नफरत करना सिखा रहे हैं। पड़ोसियों से नफरत के कारण पड़ोसियों से दुश्मनी पैदा होती है। दुश्मनी के कारण बाहर की कम्पनियों से हथियार खरीदना पड़ता है। इन हथियारों को खरीदने के लिये अपने देश की सरकार धन का इंतजाम करती है। इस धन कि लिये सरकार मंहगाई बढ़ाकर गांव वालों की रोटी छीन रही है, कपड़े उतरवा रही है, मकान छीन रही है। गांव में आज इतने काबिल लोग रहते हैं कि वे पड़ोसी गांवों के साथ मेल-जोल के साथ रहने में कामयाब हैं। किन्तु खरबपतियों ने अपने दलालों को चंदा देकर टीवी चैनलों के सहारे देश स्तर पर ऐसे नाकाबिल नेताओं को पंहुचा दिया है कि वे पड़ोसी देशों के साथ मेल-जोल नहीं बना पा रहे हैं। मेल-जोल का जो काम भारत के नेता नहीं कर पाये, वही काम युरोप के 27 देशों के नेता करने में कामयाब हो गये। कल तक जो देश आपस में खून के प्यासे थे, वही 27 देश आज नफरत की दीवार गिरा दिये; वीजा-पासपोर्ट कानूनों को तोड़ फेंका; आपस में संधि करके 27 देशों की साझी करेंसी नोट बना डाला; लड़ाई-झगड़े पर खर्च हो रहे पैसे को गांवो के विकास के लिये सीधे गांवों को ही देना शुरू कर दिया; लोग अब शहरों की बजाय गांवों की ओर भाग रहे हैं; सभी 27 देशों के लोग सभी देशों में बेरोकटोंक आने-जाने लगे। एकता के कारण आज

यूरोप अमरीका पर भी भारी पड़ रहा हैं। साझा राज-काज बनाकर यूरोप के सभी देशों के लोग अब पहले से ज्यादा संवृद्ध भी हैं और सुरक्षित भी हैं। **अच्छा तो यही होता कि भारत व इसके पड़ोसी देशों के गांवों के प्रधानों की वोट से भारत व पड़ोसी देशों का साझा प्रधानमंत्री बन जाता और देश के प्रधानमंत्री को सांसदों की बजाय देश के ब्लाक प्रमुख चुनना शुरू कर देते।** इससे शक्तिशाली सरकारों की लगाम प्रधानों व ब्लाक प्रमुखों के हाथ में आ सकती थी। राजनीतिक सुधारों की इतनी अच्छी योजना को भरत गांधी व अन्य की याचिका के रूप में 137 सांसदों ने सन् 2006 में भारत की संसद में पेश तो कर दिया था, किन्तु उसे मंजूरी मिलने में वक्त लग रहा है। इसका कारण यही है कि खरबपतियों ने काबिल लोगों को चंदे से वंचित करके; व नाकाबिल, भ्रष्ट व दलाल लोगों को चंदा देकर संकीर्ण सोंच के लोगों को देश स्तर पर नेता बनाकर बैठा रखा है। अत: जब तक इस योजना को मंजूरी नहीं मिलती, तब तक अंतरिम प्रावधान के तौर पर देश के प्रधानों को देश का प्रधानमंत्री चुनने का हक मिलना ही चाहिये।

7. यह आकलन सही है कि देश के प्रधानमंत्री के निर्वाचक मण्डल में देश के ग्राम प्रधानों को शामिल कर लेने से लोकतंत्र का ऐसा मॉडल विकसित हो जायेगा, जिसमें लोकतंत्र के संसदीय प्रणाली व राष्ट्रपति प्रणाली- दोनों के गुणों का समावेश हो जायेगा और दोनों के दुर्गुणों से बचाव हो जायेगा।

8. यह निर्विवाद सत्य है कि देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में ग्राम प्रधानों को वोट का अधिकार देने से विकास में गांवों को सीधी भागीदारी मिल जायेगी और ग्राम प्रधानों को सांसदों जैसी सुविधाओं के मिलने का मार्ग साफ हो जायेगा। इससे कुछ ही वर्षों में संसदीय कार्यप्रणाली समझने वाले मानसिक व आर्थिक रूप से सक्षम कुछ परिवार देश के प्रत्येक गांवों में पैदा हो जायेंगे। ये परिवार खरबपतियों व टीवी चैनलों की जनविरोधी शाजिस को समय रहते समझ जाया करेंगे और आत्मघाती कामों में शामिल होने से खुद भी बच जाया करेंगे और अपने-अपने गांव के लोगों को भी बचा लिया करेंगे।

प्रार्थना

उक्त पैरा- एक से आठ में अंकित तथ्यों को देखते हुये महोदय से ग्राम प्रधानों की निम्नलिखित प्रार्थना है:-

1. उक्त पैरा- एक से आठ में अंकित निष्कषों के प्रति अपनी लिखित सहमति एक पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधानों के सम्मेलन के अधोहस्ताक्षरी संयोजक को सूचित करने की कृपा करें।
2. देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में ग्राम प्रधानों को वोट का अधिकार देने के लिये संविधान संशोधन हेतु अपने अधिकार क्षेत्र के दायरें में आपने क्या-क्या काम किया है, इसकी सूचना भी ग्राम प्रधानों के सम्मेलन के अधोहस्ताक्षरी संयोजक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी ग्राम प्रधानों को सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय

(.....)
ग्राम प्रधानों के सम्मेलन के संयोजक, व
जिलाध्यक्ष- राजनीति सुधारो अभियान, जनपद-.....

संलग्नक:

1. प्रस्तावों को पारित करने वाले ग्राम प्रधानों की विवरण सूची।
2. ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद।